

## **Seeking Public Comments/Opinion on Proposed Jute Textiles (Quality Control) Order 2024**

The Office of the Jute Commissioner seeks public opinion/comments from stakeholders with the intent to cover nine (9) Indian Standards on Jute Textiles in the proposed **'Jute Textiles (Quality Control) Order - 2024'**.

The draft Jute Textiles Quality Control Order 2024; containing the list of such nine (9) Indian Standards is annexed here as Annexure-1.

Suggestions / Comments on the above from general public/concerned stakeholders/interested persons etc. should reach the Office of the Jute Commissioner at the below mentioned address within 45 (Forty-Five) days from the date of issue of this Notification.

Office of the Jute Commissioner  
Patsan Bhawan, CF Block  
7th & 8th floor, Action Area-I  
Newtown, Kolkata-700156 (WB)  
E-mail: [jcoffice@jutecomm.gov.in](mailto:jcoffice@jutecomm.gov.in)

## **Annexure I**

### **Draft Jute Textiles (Quality Control) Order 2024**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section 3 of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, here by makes the following Order, namely:-

1. **Short title, commencement and application** - (1) This Order may be called the Jute Textiles (Quality Control) Order, 2024.  
(2) It shall come into force with effect from the date of issuance of the above Order.  
(3) It shall apply to goods or article specified in column (2) of the Table below, but shall not apply to such goods or article meant for export.
2. **Compulsory use of Standard Mark**-. Goods or article specified in column (2) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. **Certification and Enforcement Authority**-The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the Table.
4. **Penalty for Contravention** - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>BIS Specification No.</b>	<b>BIS Title</b>
1	IS 13188:2022 (Reviewed in 2021)	Textiles - Jute yarn (single and ply) used as filler in woven carpets and for other uses - Specification (first revision).
2	IS 3344:2023	Textiles D.W. tarpaulin jute bags for packing (mint) coins Specification (first revision of IS 3344).
3	IS 3790:1991 (Reviewed in 2021)	Textiles - Hessian bags - Specification (second revision).
4	IS 3984:2002 (Reviewed in 2021)	Textiles - DW-flour bags - Specification (first revision).
5	IS 4436:1989 (Reviewed in 2021) Reaffirmed but not taken up for revision	Jute Bagging for wrapping cotton bales - Specification (first revision).
6	IS 9685:2002 (Reviewed in 2019)	Textiles - Sand bags - Specification (first revision).
7	IS 18161:2023	Textiles Light weight jute sacking bags for packing 50 kg mustard seed, Niger seed and Ragi - Specification.
8	IS 18162:2023	Textiles Light weight jute sacking bags for packing 50 kg Pulses and Soyabean -Specification.
9	IS 18163:2023	Textiles Light weight jute sacking bags for packing 35 kg Groundnut with shell - Specification.

Note : The latest version of Indian Standards including amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date as notified by the Bureau.

## प्रस्तावित पटसन वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2024 पर सार्वजनिक टिप्पणियां/मंतव्य मांगना

पटसन आयुक्त के कार्यालय ने प्रस्तावित पटसन वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2024 पर (9) भारतीय मानकों को सम्मिलित करने के प्रयोजन से हितधारकों से आम लोगों का मंतव्य /टिप्पणियां चाहती है।

ऐसे (9) भारतीय मानकों के सूची वाले पटसन वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2024 के मसौदा को अनुबंध-1 में संलग्न किया गया है।

उपर्युक्त विषय पर आमजनता/संबंधित हितधारक / इच्छुक व्यक्ति इत्यादि के सुझाव/मंतव्य इस अधिसूचना के निर्गत होने के 45 दिन के अंदर पटसन आयुक्त के कार्यालय को निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए।

पटसन आयुक्त का कार्यालय  
पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक  
सांतवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-1  
न्यूटाउन, कोलकाता- 700156  
[Email-jcoffice@jutecomm.gov.in](mailto:Email-jcoffice@jutecomm.gov.in)

## पटसन वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2024 का मसौदा

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)11) की धारा 17 एवं धारा 25 की उप धारा 3 के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात ब्यूरो की राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसलिए निम्नलिखित आदेश दिया जाता है।

### 1. लघु उपनाम, प्रारम्भन एवं आवेदन

(1) इस आदेश को पटसन वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जा सकता है।

(2) उपरोक्त आदेश के निर्गत होने के तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

(3) यह नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट मद या वस्तुओं पर लागू होगा, परन्तु निर्यात के लिए बने ऐसे सामान या मद पर लागू नहीं होगा।

2. **मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग** - अधोलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तु या मद उक्त तालिका के कॉलम (3) में दिये गये पत्राचार भारतीय मानक के अनुरूप होगी और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 अनुसूची-II के स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह धारण करेगी।

3. **प्रमाणीकरण एवं प्रवर्तन प्राधिकारी** - भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या मदों के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए दंड** - इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

## तालिका

क्रम सं.	बीआइएस विशिष्टता संख्या	बीआइएस टाइटल
1.	आइएस 13188:2022 (2021 में समीक्षा की गई)	वस्त्र - जूट धागा (एकल और प्लाई) बुने हुए कालिनों में भराव के रूप में और अन्य उपयोगों के लिए उपयोग किया जाता है- विशिष्टता (प्रथम पुनरीक्षा)
2.	आइएस 3344:2023	वस्त्र डी.डब्ल्यू. पैकिंग (मिंट) सिक्कों के लिए तिरपाल के बारदानें विशिष्टता (आइएस 3344 का पहला पुनरीक्षा)
3.	आइएस 3790:1991 (2021 में समीक्षा की गई)	वस्त्र - हेस्सियन बारदानें विशिष्टता (द्वितीय पुनरीक्षा)
4	आइएस 3984:2002 (2021 में समीक्षा की गई )	वस्त्र - डी.डब्ल्यू. आटा के बारदानें विशिष्टता (प्रथम पुनरीक्षा)
5	आइएस4436:1989 (2021 में समीक्षा की गई) पुष्टि की गई परंतु पुनरीक्षण नहीं हुआ।	कपास के गांठों को लपेटने के लिए जूट का कपड़ा विशिष्टता (प्रथम पुनरीक्षा)
6	आइएस9685:2002 (2021 में समीक्षा की गई)	वस्त्र - रेत के बारदानें विशिष्टता (प्रथम पुनरीक्षा)
7	आइएस18161:2023	50 किलों सरसों के बीज, नाइगर बीज और रागी पैक करने के लिए हल्के वजन के सैकिंग बारदानें विशिष्टता
8	आइएस18162:2023	50 किलो दाल और सोयाबीन पैक करने के लिए हल्के वजन के सैकिंग बारदानें - विशिष्टता
9	आइएस18163:2023	35 किलो छिलके सहित मुंगफली पैक करने के लिए हल्के वजन सैकिंग बारदान

ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित और अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए गए तिथि से लागु होगा।